

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर (राज.) ।
संचित निरीक्षक कार्यालय

कं.सं.		धारा 4(1)(ख) के तहत 17 श्रेणियों का विवरण
1.	संगठन का विवरण अनुभाग ।	राजस्थान पुलिस अकादमी संचित निरीक्षक कार्यालय
2.	अधिकारियों / कर्मचारियों के कर्तव्य एवं शक्तियाँ ।	(क) सहायक निदेशक (प्रशासन) – समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व । (ख) संचित निरीक्षक (प्रशासन) – शाखा से संबंधित समस्त प्रशासनिक कार्य एवं अन्य आउटडोर प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यकलापों का पर्यवेक्षण । (ग) अन्य संकाय सदस्य –08 – प्रदत्त कार्यों का सम्पादन ।
3.	निर्णय बनाने के लिए प्रक्रिया ।	संचित निरीक्षक (प्रशासन) द्वारा सहायक निदेशक (प्रशासन) के एवं समुचित माध्यम द्वारा प्रस्ताव प्रेषित कर निदेशक महोदय के अनुसार निर्णय किये जाते हैं । समस्त निर्णय उचित माध्यम के निर्देशानुसार लिये जाते हैं ।
4.	कार्यों के निर्वहन के लिए मानदण्ड ।	पुलिस मुख्यालय एवं संस्था के उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित कार्य पूर्ण करवाना तथा संचित निरीक्षक कार्यालय के दायित्वों के सम्बन्ध में जारी मानक कार्य प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के अनुसार विविध कार्यों का सम्पादन ।
5.	कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम ।	RSR, RPR- Other Circular Issued by PHQ ➤ प्रशिक्षण निदेशालय, निदेशक आर.पी.ए. द्वारा जारी नियम, विनियम, परिपत्रों के अनुसार कार्यों का सम्पादन । ➤ समय समय पर जारी अन्य विनियम ।
6.	श्रेणियों का विवरण ।	<ul style="list-style-type: none"> ● पत्र रवानगी पंजिका ● पत्र प्राप्ति पंजिका ● पत्र रवानगी पत्रावली ● पत्र प्राप्ति पत्रावली ● समस्त स्टाफ एवं प्रशिक्षणार्थियों की आकस्मिक अवकाश पंजिका । ● गैर हाजिरी पंजिका । ● उपार्जित अवकाश आवेदन पत्रावली । ● डी.ओ./डी.एच. ड्यूटी परफॉर्मा पत्रावली । ● शहादत रेडियोग्राम पत्रावली । ● रेल्वे व रोड़वेज बस बुक वारन्ट बुक प्रारूप । ● टेलीफोन/बिजली बिल भुगतान पंजिका प्रारूप । ● एस.ओ.पी. के सम्बन्ध में पत्रावली ।

7.	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।
8.	परामर्शदात्री समितियों अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।
9.	अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका।	सहायक निदेशक (आउटडोर), फोन नं.-0141-2302131, पी.बी.एक्स नं0-506, 507.
10.	अधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक।	लेखा शाखा।
11.	बजट प्रत्येक एजेन्सी को आवंटित।	लेखा शाखा।
12.	सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन।	लागू नहीं।
13.	रियायते, परमिट पाने वाले का ब्यौरा।	लागू नहीं।
14.	एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचना।	राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर की वेबसाईट पर उपलब्ध।
15.	नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं।	लागू नहीं।
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम एवं पदनाम विशिष्टताएं।	सहायक निदेशक (प्रशासन) लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक आरपीए प्रथम अपील अधिकारी।
17.	ऐसी अन्य सूचनाएं।	विभाग द्वारा समय-समय पर सम्बन्धित सूचनाओं को प्रकाशित किया जाता है।